संख्या: 14 / 2026/ 402 / सत्रह-म-2026-17-1099/40/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिनांक : 19 मार्च, 2026

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना से सम्बंधित संशोधित मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 138/नि0शा0/म0पा0क0को0 2024-25 दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04.11.2023 यथा संशोधित शासनादेश संख्या- 37/2024/2327-सत्रह-म-2024-17-1099/55/2021 दिनांक 30.12.2024 द्वारा निर्गत मार्ग- निर्देश में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक /मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04.11.2023 यथा संशोधित शासनादेश संख्या- 37/2024/2327-सत्रह-म-2024-17-1099/55/2021 दिनांक 30.12.2024 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

शासनादेश संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1579/सत्रह-म-2023-17-099/55/2021 दिनांक 04-11-2023 एवं 37 /2024 /2327 /सत्रह-म-2024-17-	2. परियोजना का कार्यक्षेत्रः इस परियोजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। यह परियोजना प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर केज स्थापना हेतु बड़े एवं मध्यम आकार के जलाशय जहां कम से कम 10 मीटर गहराई उपलब्ध	**2. परियोजना का कार्यक्षेत्रः** 2.1 इस परियोजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022, दिनांक 25.09.2023

1099/55/2021 दिनांक 30-12-2024	है, में संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत प्राकृतिक जलस्रोत, जलाशय तथा गहरी झीलों में स्थापित केजों में सघन मत्स्य पालन कार्य करते हुए मत्स्य उत्पादन किया जायेगा जिससे उस जल क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी। 3. चयन हेतु पात्रता: प्राथमिकता के आधार पर पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियोजनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालक /मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोडिया, कहार, तुरैहा /तुराहा समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुडी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र होगी। परियोजनान्तर्गत उक्तानुसार परिभाषित वर्ग / समुदाय की महिला आवेदकों का निम्नलिखित वरीयता क्रम में चयन किया जायेगा: 1-बी.पी.एल./ अन्त्योदय कार्ड धारक महिला आवेदक - प्रथम वरीयता 2 - विधवा महिला आवेदक - द्वितीय वरीयता 3 - अन्य महिला आवेदक - तृतीय वरीयता	के शुद्धि पत्र पत्रांक: 31/1499/सत्रह-म-2023-1099/63/2022, दिनांक 19.10.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार " श्रेणी-1, 2 एवं 3 के जलाशयों के औसत जलभराव क्षेत्रफल (AVERAGE WATER SPREAD AREA) के पाँच प्रतिशत जलक्षेत्र में केज लगाए जाएंगे, जहां सम्पूर्ण कल्चर अवधि के दौरान साइट में पानी की न्यूनतम औसत गहराई 10 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। 2.2 किसी अन्य विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों में केज स्थापित किए जाने हों, तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही आवेदन करवाया जाए। 3. चयन हेतु पात्रता: 3.1 प्राथमिकता के आधार पर पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियोजनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालक /मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोडिया, कहार, तुरैहा /तुराहा समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुडी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र होगी। 3.2 महिला आवेदक पूर्व से इस परियोजनान्तर्गत लाभान्वित न हुई हो। 3.3 महिला आवेदक केज स्थापित किए जाने वाले जलाशय के 10 कि०मी० की परिधि के ही निवासी होने चाहिए। विशेष परिस्थितियों (जब 10 कि०मी० की परिधि में लक्ष्यानुरूप आवेदक न हो) में 20 कि०मी० तक की परिधि के निवासी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे, जिसका

		4. योजना का स्वरूपः 4.1 उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से यह परियोजना निर्धारित इकाई लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश के आधार पर संचालित की जायेगी। 4.2 परियोजनान्तर्गत प्रति महिला 01 केज की स्थापना पर अनुदान अनमुन्य होगा। 4.3 लाभार्थी चयन का कार्य जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। 4.4 योजनान्तर्गत प्रति केज की साइज 6x4x4 मी० आयताकार आकार की होगी । 4.5 योजनान्तर्गत 01 केज की इकाई की कुल परियोजना लागत ₹ 3.00 लाख निवेश सहित होगी, जिसमें लाभार्थी को परियोजना लागत के सापेक्ष अनुदान के रूप में 60 प्रतिशत ₹1.80 लाख लाभार्थी को कोष के माध्यम से देय होगा। लाभार्थी अंश की धनराशि ₹1.20 लाख चयनित लाभार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के माध्यम से स्वय के	अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से होना अनिवार्य है। महिलाएं व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत समूह बनाकर भी आवेदन कर सकती है। 3 . 4 परियोजनान्तर्गत उक्तानुसार परिभाषित वर्ग / समुदाय की महिला आवेदकों का निम्नलिखित वरीयता क्रम में चयन किया जायेगा: 1. बी.पी.एल./ अन्त्योदय कार्ड धारक महिला आवेदक - प्रथम वरीयता 2. विधवा महिला आवेदक - द्वितीय वरीयता 3. अन्य महिला आवेदक - तृतीय वरीयता **4. योजना का स्वरूपः** 4.1 उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से यह परियोजना निर्धारित इकाई लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश के आधार पर संचालित की जायेगी। 4 . 2 परियोजनान्तर्गत प्रति महिला आवेदक को न्यूनतम 04 केज (96 वर्ग मीटर तथा गहराई 4 मीटर) एवं अधिकतम 08 केज (192 वर्ग मीटर तथा गहराई 4 मीटर) की स्थापना हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। केज हेतु आवेदन सम संख्या में ही होगा। 4.3 लाभार्थी चयन का कार्य जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। 4.4 योजनान्तर्गत स्थापित होने वाले केज का न्यूनतम आकार 6mx4mx4m मी० आयताकार या वृत्ताकार, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर तथा गहराई 4 मीटर की होगी। 4.5 योजनान्तर्गत 01 केज की इकाई की कुल परियोजना लागत ₹ 3.00 लाख निवेश सहित होगी, जिसमें लाभार्थी को परियोजना लागत के सापेक्ष अनुदान के रूप में 60 प्रतिशत ₹1.80 लाख लाभार्थी को कोष के माध्यम से देय

संसाधन से व्यय किया जाएगा ।

4.6 महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि (प्रति केज निवेश सहित इकाई लागत ₹3.00 लाख पर अनुदान धनराशि ₹ 1.80 लाख) कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जायेगा।

5. लाभार्थी चयन प्रक्रिया-

5.1 आवेदक द्वारा केज कल्चर परियोजना हेतु आनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर किया जायेगा।

5.2 एक परिवार की एक ही महिला लाभार्थी को इस परियोजना से लाभान्वित किया जायेगा।

5.3 प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5.4 जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाये गये आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति (डी०एल०सी०) द्वारा की जायेगी।

5.5 जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य पालक कल्याण कोष अतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
सहायक निदेशक मत्स्य /जनपदीय मत्स्य	सदस्य सचिव

होगा। लाभार्थी अंश की धनराशि ₹1.20 लाख चयनित लाभार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के माध्यम से / स्वंय के संसाधन से व्यय किया जाएगा। अनुदान की धनराशि का भुगतान केज के आयतन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।

4.6 महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि (प्रति केज निवेश सहित इकाई लागत ₹3.00 लाख पर अनुदान धनराशि ₹ 1.80 लाख) कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जायेगा।

5. लाभार्थी चयन प्रक्रिया-

5.1 आवेदक द्वारा केज कल्चर परियोजना हेतु आनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर किया जायेगा।

5.2 एक परिवार की एक ही महिला लाभार्थी को इस परियोजना से लाभान्वित किया जायेगा।

5.3 प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5.4 जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाये गये आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा निर्धारित श्रेणी में रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति (डी०एल०सी०) द्वारा की जायेगी।

5.5 जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य पालक कल्याण कोष अतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य

	अधिकारी		वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
	5.6 लाभार्थी द्वारा परियोजना कम से कम 05 वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा।		सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय मत्स्य अधिकारी	सदस्य सचिव
			5.6 लाभार्थी द्वारा परियोजना कम से कम 05 वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा। 5.7 पोर्टल पर जलाशय से आवेदक के निवास की दूरी तथा जलाशय के चयन को भरना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दूरी भर कर आवेदन किया गया है, तो जनपदीय अधिकारी द्वारा सत्यापन में उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।	

3- उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" को अधिक व्यवहारिक बनाने के दृष्टिगत पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 1579 /सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक: 04-11-2023, यथा संशोधित शासनादेश संख्या: 37 /2024 /2327/सत्रह-म-2024-17-1099/55/2021 दिनांक 30-12-2024 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश में संशोधन के सबंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य / शर्तों / मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सबंधित विभाग से कराया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 18-03-2026 17:03:53

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 14/2026/402 / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।